न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी कुशल कुमार कोठारी आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 04/2017

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोधपुर जोन जोधपुर		1. मुकेश दाधीच पुत्र श्री सत्यनारायण दाधीच उम्र-31 वर्ष (**एफबीओ/मालिक**) फर्म मै.माता श्री राणी भटियानी जी, नागौर रोड़, लवेरा बावड़ी जोधपुर निवासी-कुम्हारों का बास, लवेरा बावड़ी जिला जोधपुर 2. ज्ञानचन्द पुत्र श्री मनोहरलाल(**मालिक/ निर्माता**) मैसर्स मारवाड़ एग्रोफुडस, 8/ए शहीद राजराम ब्लॉक, मण्डोर रोड़, जोधपुर निवासी-1208 महामंदिर आसन वार्ड नं.52, अशोक नगर, जोधपुर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) एवं धारा 52 के तहत

उपस्थिति:- 1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसिंह राठौड़ उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 15.01.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 01.03.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग मैसर्स माता श्री राणी भटियानी जी नागौर रोड़, लवेरा बावड़ी जोधपुर पर पहुंच कर निरीक्षण करने पर श्री मुकेश दाधीच पुत्र श्री सत्यनारायण दाधीच, उम्र 31 वर्ष (एफबीओ/मालिक), निवासी कुम्हारों का बास, लवेरा बावड़ी जिला जोधपुर उपस्थित मिले जो आम जनता को उपयोग हेतु घी (मरूधरा) 200 एमएल पैक आदि का विक्रय कर रहे थे। मालिक/विक्रेता से वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, जो इन्होने मौके पर लाईसेन्स वर्ष 2017 का पेश किया। दुकान का निरीक्षण करने पर **घी (मरूधरा)** 200 एमएल पैक के 20 पैकेट्स आम जनता को विक्रय हेतु थे। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर/मिथ्या छाप का शक होने पर इसकी जांच एफ.एस.एस.एक्ट के तहत कराने हेतु रूबरू गवाहों श्री श्रवण चौधरी पुत्र श्री अणदाराम चौधरी, निवासी गोदारा की ढाणी, बावड़ी जोधपुर एवं साथ गये श्री रेवतसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर देकर रसीद प्राप्त की एवं विक्रेता को रूपये 560/- नगद देकर **घी (मरूधरा)** 200 एमएल पैक के 8 पैकेट्स वास्ते जांच खरीदा तथा रूपयों की

रसीद प्राप्त की। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं।

उक्त खरीदशुदा **घी (मरूधरा)** 200 एमएल के 8 पैकेट्स को मूल दो-दो पैकेट्स आपस में बांधकर चार भाग किये एवं चारों भागों हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर **एडी-315** खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। प्रत्येक मूल पैकेट को अलग-अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप **एडी-315** हस्ताक्षर युक्त जिला अभिहित अधिकारी जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई गयी एंव चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार-चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना **एडी-315** सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की। जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की। जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। उक्त सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 02.03.2016 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि चारों नमूनों को अलग अलग भागों में **एडी-315** की जांच कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट फॉर्म बी संख्या एलएस/202/एक्ट/2016/233 दिनांक 09.03.2016 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जांच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ **घी (मरूधरा)** 200 एमएल पैक का नमूना बेच नम्बर किलियर विजबल नहीं होने के कारण **मिथ्या छाप (Misbranded)** होना पाया गया। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन पाये जाने से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के साथ परिवाद पेश करने का अभिहित अधिकारी का प्राधिकृत पत्र मूल, गजट नोटिफिकेशन, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, प्रपत्र 5ए, नमूना खरीद की रसीद व मौका फर्द मूल, नमूना संख्या एडी -315 एवं सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद (प्रारूप VI के पीछे), नमूना संख्या एडी-315 के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सिल्ड भाग की प्राप्ति रसीद, अप्रर्थी मुकेश दाधीच को लिखा पत्र 51 व जवाब, श्री ज्ञानचन्द को लिखा पत्र 437 व जवाब, ज्ञानचन्द का लाईसेन्स 12214032000070, फर्म ज्ञानचन्द का वेट-03 प्रमाण पत्र, ज्ञानचन्द का पहचान पत्र (वोटर आई डी) की प्रति, जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र 181-82, जांच रिपोर्ट फार्म बी एलएस/202/एक्ट/2016/233, न्याय निर्णयन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को लिखा पत्र प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 28.02.17 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 17.07.17 व अप्राथी संख्या 2 ने दिनांक 13.04.2017 को स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में बताया कि घी (मरूधरा) कतई मिथ्या छाप नहीं था जैसा कि जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बैच नम्बर अवश्य लिखे हुए थे जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उसकी स्याही फीकी पड़ने व हट जाने की संभावना है। इसके अलावा घी (मरूधरा) का जो सेम्पल लिया गया है उसके मिथ्याछाप के लिए अप्रार्थी संख्या 2 जिम्मेवार है। अप्राथी ने कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं किया है न ही अप्रार्थी का कृत्य बारम्बार का है और अप्रार्थी को उपबंध की जानकारी नहीं होने की वजह से अप्रार्थी निर्दोष है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब में बताया कि बेच नम्बर लिखे गये थे लेकिन साफ नहीं दिख रहे है। घी का नमूना जोधपुर से दूर एक छोटे से गांव से लिया गया है जहां दुकानदार दुकान के बाहर सामान रखकर बेचते है जिससे धुप व धुल मिट्टी उड़ती तथा जिसके लगने से बेच नम्बर की स्याही फिकी पड़ जाती है या हट जाती है। बेच नम्बर होने या न होने से घी की शुद्धता में कोई फर्क नहीं पड़ता व उपभोक्ता को बेच नम्बर से वस्तु की प्रकृति, गुण व मात्रा का ज्ञान नहीं हो सकता है। अत: अप्रार्थीगण द्वारा परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन करने पर धारा 52 के तहत दोषी है। अत: अप्रार्थी संख्या 1 व 2 **प्रत्येक पर रूपये 25,000**/- कुल शास्ति रूपये **50,000**/- **(अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र)** आरोपित की जाती है, अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 15.01.2018 के एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करे। निर्णय की प्रति समस्त संबंधित को भिजवायी जावे।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 15.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुशल कुमार कोठारी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
जोधपुर